आखिरी जांच: 20 अक्टूबर 2026 · Social Justice and Special Assistance Department

Ramai Housing Scheme (Rural and Urban)

महाराष्ट्र में बेघर अनुसूचित जाति और नवबौद्ध परिवारों के लिए आवास योजना।

क्या मिल सकता है

पेज पर प्रति घर लागत सीमा दी है, जैसे ग्रामीण में Rs 1.32 लाख और नगरपालिका क्षेत्र में Rs 2.50 लाख (7 जनवरी 2017 की दरें)।

किसके लिए है

पेज के अनुसार यह महाराष्ट्र के अनुसूचित जाति और नवबौद्ध लोगों के लिए है।

मुख्य शर्तें

- पेज पर महाराष्ट्र में 15 साल रहने की शर्त है।
- पेज पर जमीन या अस्थायी घर होने की शर्त है।
- पेज के अनुसार दूसरी आवास योजना का लाभ नहीं लिया होना चाहिए।

आवेदन कैसे करें

1. अपने जिले के सहायक आयुक्त, समाज कल्याण से संपर्क करें।

स्थिति

चालू

आधिकारिक स्रोत: https://sjsa.maharashtra.gov.in/en/scheme/ramai-housing-scheme-rural-and-urban/
Labh Lo पेज: https://labhlo.in/hi/schemes/maharashtra/ramai-awas/

Labh Lo सारांश। यह सरकारी दस्तावेज़ नहीं है।
Labh Lo एक स्वतंत्र जानकारी देने वाला मंच है। यह PDF एक सारांश है। यह सरकारी दस्तावेज़ नहीं है। पात्रता और मंज़ूरी का अंतिम फैसला सरकारी विभाग करता है। आवेदन से पहले आधिकारिक स्रोत जांचें।